<u>न्यायालय</u>— पंकज शर्मा, <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.</u> (आप.प्रक.क्रमांक :- 142/2014)

<u>(संस्थित दिनांक :- 24 / 02 / 2014)</u>

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— गोहद जिला–भिण्ड, म.प्र.

.....अभियोजन।

<u>/ / विरूद्ध / /</u>

01. अनार सिंह उर्फ करू पुत्र रामजीलाल परमार उम्र 40 वर्ष। निवासी: ग्राम परौआ चितौरा, थाना—कौलोरी, जिला—धौलपुर, हाल निवासी: गणेश नगर धौलपुर, राजस्थान (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 05/07/2017 को घोषित)

01. आरोपी अनार सिंह उर्फ करू पर धारा :— 279 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :— 21/02/2015 को दोपहर लगभग 03:30 बजे ईटायली गेट लोकमार्ग गोहद पर, अपने आधिपत्य के वाहन मार्शल जीप क्रमांक यू.पी.80/सी.आर/3233 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत कलावती को टक्कर मारकर अस्थिमंग कारित कर घोर उपहित कारित की।

- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 21/02/2015 को दोपहर लगभग 03:30 बजे ईटायली गेट लोकमार्ग गोहद पर, वाहन मार्शल जीप कमांक यू.पी.80/सी.आर/3233 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर आहत कलावती को टक्कर मारकर उपहित कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी वासुदेव द्वारा उसी दिनांक को थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में मार्शल जीप कमांक यू.पी.80/सी.आर/3233 के चालक के विरूद्ध अपराध कमांक 58/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द. सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत कलावती की एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरूद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान धाटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी अनार सिंह द्वारा पेश करने पर वाहन

मार्शल जीप क्रमांक यू.पी.80/सी.आर/3233 मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी सोमेन्द्र शर्मा का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फिरयादी वासुदेव, आहत कलावती, सन्जू जाटव एवं सुनील के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्त अनार सिंह उर्फ करू के विरूद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-
- 01. क्या आरोपी अनार सिंह उर्फ करू ने दिनांक :— 21/02/2015 को दोपहर लगभग 03:30 बजे ईटायली गेट लोकमार्ग गोहद पर, अपने आधिपत्य के वाहन मार्शल जीप क्रमांक यू.पी.80/सी.आर/3233 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

साक्षी / आहत कलावती अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में 06. कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 26 / 05 / 2017 से लगभग तीन साल पहले की दोपहर के समय की ईटायली गेट गोहद की है। उस समय वह अपने नाती वासुदेव के साथ ट्रेक्टर पर बैठकर बच्ची की शादी के लिए खरीददारी करने के लिए आई थी। जब वह पैदल बाजार करने जा रहे थे, तभी ईटायली गेट पर पीछे से एक चार पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गिर पड़ी और बैहोश हो गई और उसे चोटें आई। साक्षी आगे कहती है कि घटना की रिपोर्ट उसके नाती वासुदेव ने थाना में की थी। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही ६ गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आहत कलावती अ.सा.०२ ने आरोपी अनार सिंह उर्फ करू द्वारा दिनांक :- 21/02/2015 को दोपहर लगभग 03:30 बजे ईटायली गेट लोकमार्ग गोहद पर, अपने आधिपत्य के वाहन मार्शल जीप क्रमांक यू.पी.80 / सी.आर / 3233 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है। इस वावत आहत कलावती अ.सा.०२ की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके पुलिस कथन प्र.पी. 03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

- 07. फरियादी वासुदेव अ.सा.03 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी अनार सिंह उर्फ करू द्वारा दिनांक :— 21/02/2015 को दोपहर लगभग 03:30 बजे ईटायली गेट लोकमार्ग गोहद पर, अपने आधिपत्य के वाहन मार्शल जीप क्रमांक यू.पी.80/सी.आर/3233 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया गया है।
- 08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी अनार सिंह उर्फ करू ने दिनांक : 21/02/2015 को दोपहर लगभग 03:30 बजे ईटायली गेट लोकमार्ग गोहद पर, अपने आधिपत्य के वाहन मार्शल जीप क्रमांक यू.पी.80/सी.आर/3233 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
- 09. आरोपी तथा फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और आहत/साक्षी कलावती अ.सा.02 एवं फरियादी वासुदेव अ. सा.03 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

अंतिम निष्कर्ष

- 10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी अनार सिंह उर्फ करू के विरूद्ध धारा 279 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी अनार सिंह उर्फ करू को भा.द.सं. की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मार्शल जीप क्रमांक यू.पी.80 / सी.आर / 3233 उसके पंजीकृत स्वामी सोमेन्द्र शर्मा के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद